न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—02 / 2022 (2022 / 02) वादपत्र

अनवान

1. मांगु पिता रूपा जाट निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मांगीलाल पिता भैरू जाट निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रामलाल पिता बक्षु जाट निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. कैलाश पिता नन्दलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीशचन्द्र पिता नन्दलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बद्रीलाल पिता नन्दलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भोली पत्नि नन्दलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मीठुलाल पिता नन्दलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रतनलाल पिता नन्दलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शंकरलाल पिता नन्दलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भंवरलाल पिता हरलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. रतनी पुत्री उगमा जाट पत्नि नारायण जाट नि. रायपुर हाल पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर
10. बाली पुत्री उगमा जाट पत्नि बद्रीलाल जाट नि. रायपुर, हाल माण्डकाखेड़ा तह. रायपुर
11. आशा पुत्री उगमा जाट पत्नि रतन जाट निवासी रायपुर, हाल सालेरा तहसील सहाड़ा
12. नारायणलाल पिता उगमा जाट निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. रामलाल पिता उगमा जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. टमुदेवी पत्नि उगमा जाट निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. गोपी पिता भागीरथ जाट निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. गीता पत्नि हीरालाल माली निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. जगदीशचन्द्र पिता नारू जाट निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. धापु पुत्री नारू जाट पत्नि धनराज जाट निवासी रायपुर, हाल कोशीथल तहसील सहाड़ा
19. प्यारी पुत्री नारू जाट पत्नि रामलाल जाट निवासी रायपुर, हाल बकाण तहसील रायपुर
20. श्मसान हिस्सा सा. देह खातेदार अ.वि.व.भूमि ग्राम पंचायत रायपुर तहसील रायपुर
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. हरीश टेलर — **अधिवक्ता वादीगण**

निर्णय

दिनांकः—20.07.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:11 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण [illegible] प मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर [illegible] हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 20 के संयुक्त [illegible] कार एवं कब्जे काश्त [illegible] आराजी संख्या 2454 रकबा 1.16 है0 भूमि खाता संख्या 698 [illegible] दर्ज होकर स्थित [illegible] माण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजियात में वादी संख्या 1 व उसकी

माता हंजा का 1/8–1/8 हिस्सा है परन्तु हंजा की मृत्य होने से वादी ही वारीस होने से 1/4 हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकार्ड है इसी प्रकार वादी संख्या 2 का व उसकी माता रामी का 1/24–1/24 हिस्सा दर्ज है किन्तु रामी की मृत्यु हो जाने वारीस वादी संख्या 2 होने से उसका कुल हिस्सा 1/12 निहित होकर दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार वादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकार्ड है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का सुंयक्त रूप से 7/112 हिस्सा तथा सहखातेदार शान्ति पत्नि हीरालाल की मृत्यु हो जाने से उसका 1/16 हिस्सा भी इन्ही का है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का कुल 14/112 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 14 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 19 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 का 1/16 हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती रूप से दर्ज होने से तथा हिस्सा अलग से निर्धारित नही होने से वादी के अपने हक व हिस्से को विकास आदि कर कृषि उपयोग उपभोग हेतु भूमि सुधार करने में तथा लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे वादीगण वाद पत्र की कलम नं0 1 में अंकित आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा तथा वादी संख्या 3 का 1/12 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के अनुसार विधिवत रूप से विभाजन करवा स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 03.01.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व 17, 18, 19 के अधिवक्ता उपस्थित अपने हिस्से का विभाजन करते सहमति व्यक्त की गई एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 15 स्वयं उपस्थित होकर अपना हिस्सा अलग कराने में सहमति व्यक्त की गई तथा प्रतिवादी संख्या 16 के द्वारा जरिये काउन्टर क्लेम भी अपना हिस्सा भी विभाजन करने का निवेदन किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 20, 21 फोरमल पक्षकार है जिससे वादीगण द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुनते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2022 को वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून [illegible] एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 20 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2454 रकबा 1.16 है0 भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा तथा वादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का संयुक्त रूप से 14/112 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 14 का संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:11 IST
Reason: SelfAttested

17 लगायत 19 का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 का 1/16 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 28.06.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/3 रकबा 0.0725 है0 भूमि नारायण, रामलाल, रतनी, बाली, आशा पिता उगमा टमु पत्नि उगमा जाट सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/4 रकबा 0.0725 है0 भूमि गीता पत्नि हीरा माली सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/2 रकबा 0.0725 है0 भूमि गोपी पिता भागीरथ जाट सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/5 रकबा 0.0966 है0 भूमि जगदीश, धापु प्यारी पिता नारू जाट सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/8 रकबा 0.29 है0 भूमि मांगु 2/3 तुलसी 1/6 प्यारी 1/6 पिता रूपा जाट सा.देह खातेदार, व प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/7 रकबा 0.0966 है0 भूमि मांगीलाल पिता भैरू जाट सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/6 रकबा 0.0968 है0 भूमि रामलाल पिता बक्षु जाट सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/9 रकबा 0.1450 है0 भूमि कैलाश, जगदीश, बद्रीलाल मीठु, रतनलाल, शंकरलाल पिता नन्दलाल भोली पत्नि नन्दलाल 1/2, शान्ति पत्नि हीरा 1/2 एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/1 रकबा 0.0725 है0 भूमि श्मसान अ.वि.व. भूमि ग्राम पंचायत रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/10 रकबा 0.1450 है0 भूमि भंवरलाल पिता हरलाल जाट सा. देह सुरजपुरा खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:11 IST
Reason: SelfAttested

20/7/2022
(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–02 / 2022 (2022 / 02) वादपत्र

अनवान

1. मांगु पिता रूपा जाट निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मांगीलाल पिता भैरू जाट निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रामलाल पिता बक्षु जाट निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. कैलाश पिता नन्दलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीशचन्द्र पिता नन्दलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बद्रीलाल पिता नन्दलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भोली पत्नि नन्दलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मीठुलाल पिता नन्दलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रतनलाल पिता नन्दलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शंकरलाल पिता नन्दलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भंवरलाल पिता हरलाल जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. रतनी पुत्री उगमा जाट पत्नि नारायण जाट नि. रायपुर हाल पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर
10. बाली पुत्री उगमा जाट पत्नि बद्रीलाल जाट नि. रायपुर, हाल माण्डकाखेड़ा तह. रायपुर
11. आशा पुत्री उगमा जाट पत्नि रतन जाट निवासी रायपुर, हाल सालेरा तहसील सहाड़ा
12. नारायणलाल पिता उगमा जाट निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. रामलाल पिता उगमा जाट निवासी सुरजपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. टमुदेवी पत्नि उगमा जाट निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. गोपी पिता भागीरथ जाट निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. गीता पत्नि हीरालाल माली निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. जगदीशचन्द्र पिता नारू जाट निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. धापु पुत्री नारू जाट पत्नि धनराज जाट निवासी रायपुर, हाल कोशीथल तहसील सहाड़ा
19. प्यारी पुत्री नारू जाट पत्नि रामलाल जाट निवासी रायपुर, हाल बकाण तहसील रायपुर
20. श्मसान हिस्सा सा. देह खाते [illegible] रायपुर तहसील रायपुर
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर [illegible] तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:11 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/3 रकबा 0.0725 है0 भूमि नारायण, रामलाल, रतनी, बाली, आशा पिता उगमा टमु पत्नि उगमा जाट सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/4 रकबा 0.0725 है0 भूमि गीता पत्नि हीरा माली सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/2 रकबा 0.0725 है0 भूमि गोपी पिता भागीरथ जाट सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/5 रकबा 0.0966 है0 भूमि जगदीश, धापु प्यारी पिता नारू जाट सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/8 रकबा 0.29 है0 भूमि मांगु 2/3 तुलसी 1/6 प्यारी 1/6 पिता रूपा जाट सा.देह खातेदार, व प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/7 रकबा 0.0966 है0 भूमि मांगीलाल पिता भैरू जाट सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/6 रकबा 0.0968 है0 भूमि रामलाल पिता बक्षु जाट सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/9 रकबा 0.1450 है0 भूमि कैलाश, जगदीश, बद्रीलाल मीठु, रतनलाल, शंकरलाल पिता नन्दलाल भोली पत्नि नन्दलाल 1/2, शान्ति पत्नि हीरा 1/2 एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/1 रकबा 0.0725 है0 भूमि श्मसान अ.वि.व. भूमि ग्राम पंचायत रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2154/10 रकबा 0.1450 है0 भूमि भंवरलाल पिता हरलाल जाट सा. देह सुरजपुरा खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

20/7/2022

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:11 IST
Reason: SelfAttested